संख्या-03/2020/1075/33-1-2020-3003/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 02 जून, 2020**

विषयः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में भुखमरी की दशा, बीमारी एवं मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को आकस्मिकता की स्थिति में व आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों की वजह से भुखमरी का सामना, इलाज कराने में आर्थिक तंगी व किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उचित दाह संस्कार/अंत्येष्टि न हो पाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी परिवार अथवा सदस्य को भुखमरी, बीमारी से इलाज में परेशानी व अन्त्येष्टि करने में असमर्थता की स्थिति न हो इसके लिए शासन ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग अनुमन्य करने का निर्णय लिया है।

2. ग्रामीण अंचल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिवार को एक-बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से करायेगी। उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित व्यक्ति व परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी की जायेगी ताकि आने वाले दिनों में उनके भरण-पोषण के लिए नियमित राशन प्राप्त हो सके।

3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार के सदस्य गरीबी की वजह से कतिपय परिस्थितियों में अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। यद्यपि बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। अगर किसी परिवार के पास उपरोक्त योजनाओं का लाभ कार्ड न होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें तत्काल एक-बारीय इलाज के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से 2000 रूपये की धनराशि उपलब्ध करायेंगी। उपरोक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के उपरान्त परिवार को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए धनराशि न होने की दशा में ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को 5000 रूपये की धनराशि अन्त्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अगर किसी व्यक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की मृत्यु होने पर उसके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जो अंत्येष्टि/अन्तिम संस्कार के कार्य को कर सके उन परिस्थितियों में ग्राम पंचायतें 5000 रूपये की धनराशि का व्यय करते हुए अंत्येष्टि की व्यवस्था करायेंगी।

5. पात्रता-

गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतें मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में काम करती हैं। पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा-15 (सोलह), 15 (तेईस) 'ख', 15 (अट्ठाईस) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों में भी यह शामिल है। ग्राम पंचायतों के पास विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तैयार की गयी गरीब परिवार व निराश्रित परिवारों की सूची व अन्य जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इन मदों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता आर्थिक विपन्नता की स्थिति में ही पडेग़ी, परन्तु कतिपय परिस्थितियों में ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के सामने आकस्मिकता के रूप में आ सकती है। उक्त के दृष्टिगत इन परिस्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए परिवारों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा परिवार की आर्थिक विपन्नता व परिस्थिति जनक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

6. प्रक्रिया-

ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव अपनी पंचायत में उपरोक्त परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे एवं समय-समय पर बैठक कर परिवारों को इस शासनादेश में वर्णित तीनों परिस्थितियों के लिए चयन करते हुए उन्हें वर्णित धनराशि उपलब्ध करायेंगे। चूंकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब लगभग सभी परिवारों के बैंक खाते खुले हुए हैं। अतः यह सहायता राशि लाभार्थी परिवार/लाभार्थी को उसके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

7. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 2800 करोड़ की धनराशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 2020-21 में 4340 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अधिकतम 03 प्रतिशत राशि, जो वर्ष 2020-21 में रूपये 130.20 करोड़ होगी, ग्राम पंचायतें शासनादेश में वर्णित कार्यों को करने के लिए अधिकृत होंगी। ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध ब्याज की धनराशि का भी इस कार्य पर प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के 03 प्रतिशत तक की धनराशि इन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है, इसके उपरान्त भी ऐसे परिवार/निराश्रित व्यक्ति मौजूद हैं, इन्हें इस योजना की आवश्यकता है तो उनकी सूची व विवरण ग्राम पंचायतें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त टी.आर.-27 से उक्त धनराशि आहरण करते हुए सम्बन्धित परिवार को यह सहायता राशि उपलब्ध करायेंगे और उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किए जाने के लिए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

रिपोर्टिंग-

जिला पंचायत राज अधिकारी शासनादेश में वर्णित श्रेणी में उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता राशि का विवरण लाभार्थी के नाम व पूर्ण पते (मोबाईल नम्बर के साथ) निदेशक, पंचायती राज को इलैक्ट्रानिकली उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, पंचायती राज इस रिपोर्टिंग के लिए एक ऐप/प्रोफार्मा तैयार कर सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को तीन दिन में सूचित करेंगे। निदेशक, पंचायती राज द्वारा जिलों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

टी.आर.-27 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

परिणाम की अपेक्षायें-

राज्य सरकार इस निर्णय के माध्यम से ग्राम पंचायतों को व जिलाधिकारीगण को राज्य वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि व टी.आर.-27 से आकस्मिकता की स्थिति में धनराशि आहरण के लिए अधिकृत करते हुए वर्णित परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत कर रही है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/परिवार को भुखमरी का सामना न करना पडे़ एवं आर्थिक विपन्नता की वजह से चिकित्सा सुविधा न मिल पाये या आर्थिक विपन्नता की वजह से अन्तिम संस्कार व अंत्येष्टि न हो पाये ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों। ग्राम पंचायतें व जिलाधिकारीगण शासन के इस निर्णय का पूरी सजगता व कठोरता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, नियोजन, पशुधन, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in